न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

वाद संo : 61/2022

धनपतसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी सामडा तहसील भादरा।

-प्रार्थी

बनाम

1. कुरडाराम उर्फ कुरडा पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सामडा तहसील भादरा।
2. रान्तालाल पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी सामडा तहसील भादरा।
3. ज्ञानसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी सामडा तहसील भादरा।
4. शकुन्तला देवी पुत्री कुरडाराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी सामडा तहसील भादरा।
5. फुलीदेवी पुत्री कुरडाराम पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी सामडा तहसील भादरा।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानी बडी जरिऐ शाखा प्रबंधक।
7. उप पंजीयक/सब रजिस्ट्रार भादरा।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण - **प्रार्थी**

वकील श्री कृष्ण गर्ग - **अप्रार्थी सं0 1ता3**

निर्णय **दिनांक :** 22.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 44/37 के मु0न0 102, की 3.795है0 व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 34/32 के मु0न0 35, 36, 51, 52, 65, 66 की 12.903है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 कुरडा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वर्णित वादभूमि अप्रार्थी सं0 1 कुरडाराम के नाम दर्ज है। अप्रार्थी सं01 कुरडाराम प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 5 का पिता है। उक्त वर्णित वादभूमि हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के साथ साथ प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 5 का भी जन्म से हक हिस्सा है। वादभूमि गैरसायल सं0 1 को अपने पिता मोटाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। गैरसायल सं0 1 कुरडाराम गैर सायल सं0 3 ज्ञानसिंह के बहकाव व दबाव में है और गैरसायल सं0 1 व 3 ने ऐलानियां धमकी दी है कि वे सम्पूर्ण कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल कर अजनबी लोगों को कब्जा सौपेंगे और प्रार्थी को उनके हक हिस्सा की कृषि भूमि से वंचित रखेंगे। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा इकरारनामा सौदा विक्रय कृषि भूमि किया गया है। यदि गैरसायल सं0 1 वाद भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि की घोषणा करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी कि वह वाद भूमि के रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादभूमि दादालाई नहीं है। अप्रार्थी दावाधीन खातेदारी का एकल खातेदार स्वामी है तथा अप्रार्थी के जीवनकाल में प्रार्थी या अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 पर अप्रार्थी सं0 3 का दबाव नहीं है। अप्रार्थी का बीमा का पैसा व बैंक ऋण सारा का सारा प्रार्थी धनपत ने हडप कर लिया एवं अब झूठे दावा में अप्रार्थी पर दबाव बनाने के लिए दायर किया है। अप्रार्थी सं0 1 भूमि को विक्रय नहीं करना चाहता है ना ही अपने किसी बेटे बेटी को हकों से वंचित रखना चाहता है। अप्रार्थी सं0 1 अतिरिक्त कथन किया कि वादी स्वयं अप्रार्थी सं0 1 को कर्ता खानदान स्वीकार करता है। अतः हिन्दू विधि में कर्ता को अपनी सम्पति के बंदोबस्त के विशेष अधिकार है। प्रार्थी को निषेधाज्ञा बखिलाफ अप्रार्थी प्राप्त होती है तो अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी बेहद दुविधा में डालेगा एवं अप्रार्थी को अधिक सुविधा होगी अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि गैरसायल के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न की जावे। अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 मेरे पिता है की आयु वर्तमान में करीब 80 साल है जो मेरे भाई ज्ञानसिंह के पूरी

Scanned with CamScanner

तरह से दबाव व बहकावे में है तथा ज्ञानसिंह ने अनुचित फायदा उठाकर सम्पूर्ण कृषि भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया और सम्पूर्ण राशि अकेले ने ही काम में ले ली, सम्पूर्ण फसल का बीमा भी मेरा भाई ज्ञानसिंह ले रहा है। मेरे पिता कुरडाराम कृषि भूमि को अन्य लोगों को बेच रहा है। यदि गैरसायल सं0 1 वाद भूमि को विक्रय कर देता है तो अप्रार्थी सं0 2 को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थी सं0 2 अपने हिस्सा की भूमि की घोषणा करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद करवा पाने का अधिकारी है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 44/37 के गु0न0 102, की 3.795है0 व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 34/32 के गु0न0 35, 36, 51, 52, 65, 66 की 12.903है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 कुरडा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी ने कथन किया कि वादभूमि अप्रार्थी स0 1 कुरडाराम के नाम दर्ज है। अप्रार्थी सं01 कुरडाराम प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 5 का पिता है। उक्त वर्णित वादभूमि हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के साथ साथ प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 5 का भी जन्म से हक हिस्सा है। वादभूमि गैरसायल सं0 1 को अपने पिता मोटाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। गैरसायल सं0 1 कुरडाराम गैर सायल सं0 3 ज्ञानसिंह के बहकाव व दबाव में है और गैरसायल सं0 1 व 3 ने ऐलानियां धमकी दी है कि वे सम्पूर्ण कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल कर अजनबी लोगों को कब्जा सौपेंगे और प्रार्थी को उनके हक हिस्सा की कृषि भूमि से वंचित रखेंगे। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा इकरारनामा सौदा विक्रय कृषि भूमि किया गया है जो पेश किया गया। यदि गैरसायल सं0 1 वाद भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि की घोषणा करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद करवा पाने का अधिकारी है।

वकील अप्रार्थी सं0 2 ने बहस कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 मेरे पिता है की आयु वर्तमान में करीब 80 साल है जो मेरे भाई ज्ञानसिह के पूरी तरह से दबाव व बहकावे में है तथा ज्ञानसिंह ने अनुचित फायदा उठाकर सम्पूर्ण कृषि भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया और सम्पूर्ण राशि अकेले ने ही काम मे ले ली, सम्पूर्ण फसल का बीमा भी मेरा भाई ज्ञानसिंह ले रहा है। मेरे पिता कुरडाराम कृषि भूमि को अन्य लोगों को बेच रहा है। यदि गैरसायल सं0 1 वाद भूमि को विक्रय कर देता है तो अप्रार्थी सं0 2 को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थी सं0 2 अपने हिस्सा की भूमि की घोषणा करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद करवा पाने का अधिकारी है।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने बहस कर निवेदन किया कि वादभूमि दादालाई नहीं है। अप्रार्थी दावाधीन खातेदारी का एकल खातेदार स्वामी है तथा अप्रार्थी के जीवनकाल में प्रार्थी या अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 पर अप्रार्थी सं0 3 का दबाव नहीं है। अप्रार्थी का बीमा का पैसा व बैंक ऋण सारा का सारा प्रार्थी धनपत ने हडप कर लिया एवं अब झूठे दावा में अप्रार्थी पर दबाव बनाने के लिए दायर किया है। अप्रार्थी सं0 1 भूमि को विक्रय नहीं करना चाहता है ना ही अपने किसी बेटे बेटी को हकों से वंचित रखना चाहता है। अप्रार्थी सं0 1 अतिरिक्त कथन किया कि वादी स्वयं अप्रार्थी सं0 1 को कर्ता खानदान स्वीकार करता है। अतः हिन्दू विधि में कर्ता को अपनी सम्पति के बंदोवस्त के विशेष अधिकार है। प्रार्थी को निषेधाज्ञा बखिलाफ अप्रार्थी प्राप्त होती है तो अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी बेहद दुविधा में डालेगा एवं अप्रार्थी को अधिक सुविधा होगी अतः जवाब दरख्वारत मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि गैरसायल के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न की जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में सायल ने गैरसायल को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पावन्द करवाने हेतु वाद पेश किया है एवं प्रकरण के निरतारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है :-

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:-प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादभूमि दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 5 का भी हक हिस्सा है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में सावित होता है।

Scanned with CamScanner

2 सुविधा का संतुलनः— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। प्रार्थी ने अपने दावा व दरख्वास्त में घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी सं0 1 के खिलाफ साबित होता है।

3 अपूर्णीय क्षतिः— उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष मे साबित हुए है। चुंकि वादभूमि पैतृक व दादालाई है जिसमें प्रार्थी का भी हक हिस्सा है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पेश इकरारनामा सौदा विक्रय कृषि भूमि से साबित होता है कि अप्रार्थी सं0 1 भूमि बेचान करना चाहता है। यदि अप्रार्थी सं0 1 कृषि भूमि विक्रय करता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः अपूर्णीय क्षति का मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित होता है तथा दूसरे बिन्दु सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीसरे बिन्दु अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र मूल वाद का निस्तारण होने तक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने से स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरूद्व गैरसायल सं0 1 इस आशय की पारित किया जाती है कि रोही मोजा चक 9 जेएसएल के खाता संख्या 44/37 के मु0न0 102, की 3.795है0 व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 34/32 के मु0न0 35, 36, 51, 52, 65, 66 की 12.903है0 बारानी कृषि भूमि गैरसायल सं0 1 कुरडाराम वादभूमि को ताफैसला रहन, बैय व दीगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करें और रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner